**प्रेस विज्ञप्ति**
**25.02.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 24.02.2025 को दिल्ली में आरिफ निसार से संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी द्वारा की गई तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान और जांच को आगे बढ़ाने के लिए, आरिफ निसार को उसी दिन यानी 24.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। आरिफ निसार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए, जालंधर) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 04.03.2025 तक ईडी रिमांड पर 8 दिनों की हिरासत में दे दिया।

ईडी ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड क्लाउड पार्टिकल्स के सब-लीज़ रेंट की आड़ में नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दे रहे थे। इस तरह से किसी भी ऐसे क्लाइंट से कोई किराया आय नहीं हुई जिसने क्लाउड पार्टिकल्स को किराए पर लेने का दावा किया हो। आरिफ निसार, जो ZIPL में 75% शेयरहोल्डिंग रखते हैं, VMSL समूह के मेंटर और संस्थापक हैं और सुखविंदर सिंह खरौर के करीबी सहयोगी हैं, ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, बिना किसी पर्याप्त बुनियादी ढांचे और ग्राहकों के, क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (SLB मॉडल) की आड़ में विभिन्न निवेशकों को अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करके हजारों करोड़ रुपये के अपराध के आगम (POC) अर्जित किए। अपराध के आगमों का निवेश परिसंपत्तियों की खरीद में किया गया और आरिफ निसार और अन्य के व्यक्तिगत खातों में भी डायवर्ट किया गया।

इससे पहले, 26.11.2024 और 17.01.2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।